दिनांक 12.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 318/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 12.06.2026 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री दावा शेरपा, सेवानिवृत्त अपर पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 08.06.2026 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

स्वर्गीय दावा शेरपा जी का जन्म 07 दिसम्बर, 1962 को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में हुआ था। वह वर्ष 1991 में "भारतीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त वह प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहें। वर्ष 2016 में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक (भवन/कल्याण) उ0प्र0, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लखनऊ, सीबीसीआईडी लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर के पद पर नियुक्त रहें। दिनांकः 31.12.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी के पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। स्वर्गीय दावा शेरपा जी का दिनांकः 08.06.2026 को दुःखद निधन हो गया।

स्वर्गीय दावा शेरपा जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। उनका लगभग 30 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशन्सा चिन्ह (सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशन्सा चिन्ह (गोल्ड) से सम्मानित किया गया है। वह अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

दिनांक 12.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 319/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर विगत 24 घण्टों के अन्दर जनपद कानपुर नगर एवं गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा 02 युवकों की बचायी गयी जान

- जनपद **कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा** की पुलिस द्वारा मात्र 07 मिनट के अन्तराल में तथा **जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना ज़ेवर** की पुलिस द्वारा मात्र 5 मिनट के अन्तराल में सम्बंधित पीड़ितों के घर पहुंचकर उनके प्राणों की रक्षा की गयी।
- दिनांक 12.06.2026 को जनपद **कानपुर नगर के 30 वर्षीय युवक** द्वारा अपनी मंगेतर से हुए विवाद तथा उसके द्वारा मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक तनाव एवं अवसाद की स्थिति में आत्महत्या संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।
- दिनांक 12-06-2026 को जनपद **गौतमबुद्ध नगर के 24 वर्षीय युवक** से उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा ब्रेकअप कर देने के कारण क्षुब्ध होकर आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल युवकों की लोकेशन ट्रेस करके जनपद कानपुर नगर व नो गौतमबुद्ध नगर को सूचित किया गया।
- दिनांक **01-01-2023 से 08-06-2026 के मध्य इस पहल के माध्यम से कुल 3081 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** की जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026 से सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित** किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बरो के आधार पर तत्काल पीड़ितों की लोकेशन की जानकारी करके जनपद कानपुर नगर व गौतमबुद्ध नगर को प्रकरण से अवगत कराया गया।

1- जनपद-कानपुर नगर

दिनांक 12-06-2026 को जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा निवासी लगभग 30 वर्षीय युवक द्वारा **छत के पंखे में कपड़ा बांधकर और उसका फंदा बनाकर अपने गले में डालकर फाँसी लगाने का प्रयास करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 12-06-2026 को रात्रि 12:02 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराते हुए पीड़ित की लोकेशन ज्ञात की गई।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा के **उप निरीक्षक कादिर खान एवं उप निरीक्षक हरवीर सिंह मात्र 07 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए** और युवक के परिजनों से जानकारी कर तत्काल युवक के पास पहुंचे तो देखा कि पीड़ित **फाँसी लगाने का प्रयास कर रहा है।** पुलिस कर्मियों ने बिना समय गंवाए युवक के गले से फंदा निकला और पीड़ित को फाँसी लगाने से रोका गया। युवक की स्थिति सामान्य होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है। युवक का विवाह तय होने के बाद वह अपनी मंगेतर से बातचीत करता था किंतु कुछ दिन पूर्व युवक का अपनी मंगेतर से किसी बात पर झगड़ा हुआ और **उसकी मंगेतर द्वारा युवक का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया, जिस कारण युवक मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया** था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसने यह कदम उठा लिया।

2- जनपद- गौतमबुद्ध नगर

दिनांक 12-06-2026 को जनपद गौतमबुद्ध नगर थाना जेवर के 24 वर्षीय युवक द्वारा गर्ल फ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने के कारण **नींद की गोलियों का अधिक मात्रा में सेवन करते हुए "यह आख़िरी वीडियो है मेरी, क्या पता फिर रहूँ या नहीं"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 12-06-2026 को रात्रि 12:12 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराते हुए पीड़ित की लोकेशन ज्ञात की गई ।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना जेवर के **उप निरीक्षक शैलेश कुमार, मुख्य आरक्षी कुंवर पाल शर्मा एवं आरक्षी सुनील कुमार मात्र 05 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए** और युवक के घर जाकर युवक के पिता को जगाकर युवक द्वारा की गई पोस्ट की जानकारी देते हुए परिजनों के साथ तत्काल युवक के पास पहुंचे तो देखा कि **वह बेसुध दशा में अपने बिस्तर पर पड़ा है** । पुलिस कर्मियों ने अविलंब परिजनों व पड़ोसियों के सहयोग से युवक को नजदीकी हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर चिकित्सक द्वारा युवक का उपचार किया गया तथा युवक की स्थिति सही हो जाने के बाद घर भेज दिया गया । युवक की स्थिति सामान्य होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह मजदूरी करता है। युवक एक लड़की से बातचीत करते हुए उससे प्रेम करने लगा, किंतु **लड़की द्वारा उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, जिससे आहत होकर** युवक मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसने यह कदम उठा लिया।

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, दोनों पीड़ितों को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया । दोनों युवकों के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है । **दिनांक 01-01-2023 से 08-06-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3081 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी** है ।

Ai Generated Image

दिनांक 12.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 320/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चित्रकूट/थाना मऊ

- **15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.06.2026 को थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम उभारी करमा से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—नौशाद अंसारी 2—इरशाद अंसारी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना बरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद अंसारी निवासी कटरा चौराहा उभारी करमा थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

2—इरशाद अंसारी निवासी कटरा चौराहा उभारी करमा थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

जनपद हरदोई/थाना अतरौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.06.2026 को थाना अतरौली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—सर्वेश कुमार उर्फ भूपे 2—सीपू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सर्वेश कुमार उर्फ भूपे के विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सर्वेश कुमार उर्फ भूपे निवासी ग्राम भेरका थाना अतरौली जनपद हरदोई।

2–सीपू निवासी ग्राम गुरसंडा थाना टडियावां जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

<u>जनपद मैनपुरी/थाना औंछा</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध तमंचा 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2026 को थाना औंछा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–अशोक 2–प्रिन्स 3–पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध तमंचा 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना औंछा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अशोक निवासी कस्बा व थाना औंछा जनपद मैनपुरी।

2–प्रिन्स निवासी कस्बा व थाना औंछा जनपद मैनपुरी।

3–पवन निवासी कस्बा व थाना औंछा जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–10 अवैध तमंचा 315 बोर।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद मथुरा/थाना सुरीर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना सुरीर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संदीप उर्फ काली 2–नीतेश उर्फ पुल्ली को कठोर आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना हसनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–उत्तम 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/87/65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को कठोर आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना असमोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना असमोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बबली 2–मोहित को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————